

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, 22 गोदाम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांक: एस्टे/एम/एफ.10()/आरएमएस(टी)/डीएलबी/2019/8531-37 दिनांक: 05/07/2022

उप निदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त राजस्थान।

विषय : वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, संतान संबंधी घोषणा एवं विभागीय जांच नही होने का प्रमाण-पत्र भिजवाने बाबत।

प्रसंग : पूर्व विभागीय पत्र क्रमांक 4828-5067 दिनांक 31.05.2022, 7570-7799 दिनांक 09.06.2022 एवं 8087-8319 दिनांक 23.06.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों संबंध में लेख है कि पूर्व विभागीय पत्र दिनांक 31.05.2022 द्वारा आपके क्षेत्राधिकार की निकायों में कार्यरत राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के पदोन्नति की संभावित पात्रता रखने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (निर्धारित चैनल/माध्यम की समस्त पूर्तियां की जाकर) संतान संबंधी घोषणा पत्र एवं विभागीय जांच नही होने का प्रमाण पत्र 10 जून, 2022 तक भिजवाने हेतु लिखा गया था। वांछित दस्तावेजात प्राप्त नही होने पर पुनः स्मरण पत्र दिनांक 09.06.2022 जारी कर दिनांक 15 जून, 2022 तक भिजवाने हेतु लिखा गया था। इसके बावजूद भी विभाग को वांछित दस्तावेजात /सूचनाएँ प्राप्त नही होने के कारण पुनः स्मरण पत्र दिनांक 23.06.2022 को लिखा जाकर दिनांक 30 जून, 2022 तक भिजवाने हेतु लिखा गया था। परन्तु वांछित सूचनाएँ प्राप्त नही होने के कारण पदोन्नति के प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब हो रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है निकट भविष्य में पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जानी है।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है विभाग को प्राप्त होने वाले वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अपूर्ण प्राप्त हो रहे हैं। अतः वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण (प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकाकर्ता की टिप्पणी उपरान्त) प्राप्त होने पर ही विभाग द्वारा स्वीकार किये जावेंगे।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः लेख है कि राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं संतान संबंधी सूचना भिजवाने हेतु क्षेत्राधिकार की निकायों में कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों को निर्देशित किया जावे तथा आपके कार्यालय में इनके विरुद्ध विभागीय जांचों की वर्तमान स्थिति एवं दिये गये दण्डों का विवरण दिनांक 15 जुलाई, 2022 तक आवश्यक रूप से भिजवावें। 15 जुलाई, 2022 के पश्चात् प्राप्त होने वाले उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों को स्वीकार नही किया जावेगा।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: एस्टे/एम/एफ.10()/आरएमएस(टी)/डीएलबी/2019/8538-8738 दिनांक: 05/07/2022
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, महोदय, निदेशालय।
03. सिस्टम कम एनालिस्ट, निदेशालय को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
04. आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ समस्त राजस्थान।
05. सुरक्षित पत्रावली।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त निदेशक